

1a
तारीख
हुकम

न२/२०१८ रामप्रसाद/ रामस्वरूप

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक
में

15.
12
23/2018

पत्रावली पेय दुई (आधिकारिता जारी) उपलब्ध
प्रमाण उपर्युक्त से की अधिक रूप से न्यायालय
के समक्ष विचारणीय नहीं। न्यायालय से
जबस का-२ प्रस्तुत करने पर कोई खग-५
क्राइम जारी नहीं किया गया है। खग-५
फांफा विचारणीय नहीं होने का कोई
दर्शावली नहीं है।

किस खग-५ फांफा खारिज किया गया
है। मूल प्रमाण से साथ पत्रावली शामिल
रहे।

सुले-न्यायालय में सुनाया जाया



जिला कलेक्टर
बोसा